संख्या-17/2017/1270/35-3-2017-1(43)/2015

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक: 30 अगस्त, 2017**

विषय: वर्ष 2017-18 के लिये बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत जलापूर्ति कार्यक्रमों की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह की कहने का निदेश हुआ है कि जनपद'-पीलीभीत में शासनादेश संख्या-56/2016/1365/35-3-2016-1(43)/2015दिनांक 19 जुलाई 2016 द्वारा पेयजल की निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू. 711.41 लाख (रू सात करोड़ ग्यारह लाख इकतालीस हजार मात्र) की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये रू. 300.00 लाख (रू तीन करोड़ मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। एतददवारा निम्नलिखित कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि को समायोजित करते हुये अवशेष देय धनराशि में से रू0 350.00 लाख की धनराशि को निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 जल निगम है ा

(धनराशि लाख रू. मे)

विकास खण्ड का नाम	क्र.स.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप मे अवमुक्त की जा रही धनराशि
पूरनपुर	1	बूंदीभूड़ व बन्दरबोझ ग्राम पेयजल योजना	248.35	100.00	126.94
	2	नौजल्हा ग्राम पेयजल योजना	249.48	100.00	129.48
	3	महराजपुर ग्राम पेयजल योजना	213.58	100.00	93.58
		योग	**711.41**	**300.00**	**350.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19 जुलाई2016की शर्ते यथावत लागू रहेगीं ।

2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से ग्रामीण पेयजल की परियोजनाओं हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

4- कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत मे ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृध्दि अनुमन्य नही होगी ।

5- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 मे अनुदान संख्या-40- लेखाशीर्षक-4575-अन्य िवशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूॅजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-102- ग्रामीण जलपूर्ति-03- जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24- वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा 1

भवदीय,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव

<u>संख्या-17/2017/1270(1)/ 35-3-2017-1(43)/2015 तद दिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त,बरेली मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक,राज्य योजना आयोग / भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी,पीलीभीत ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) बरेली मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी,पीलीभीत ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13 - गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in